

अनुसूच प्रमाण पर सम्बन्धित ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान/सरपंच के द्वारा हल पर जारी किया जाता है।

अनुसूच प्रमाण पर

मैं पुष्पेश्वर (ग्राम प्रधान/सरपंच का नाम),
ग्राम प्रधान/सरपंच ग्राम पंचायत पटोरी विवर
हल पटोरी जमाया पटोरी
जमाया करता/करती हूँ कि श्री श्रीमती
(उम्मीदवार का नाम), पुत्र/पुत्री श्री श्रीमती
(पिता/माता का नाम), निवासी
(ग्राम पंचायत का नाम), विवर
आधार संख्या पटोरी (आधार संख्या) है। मे हमारी
ग्राम पंचायत पटोरी में वैधता विवरण स्थानी के संचालन/प्रबंधन
और संचालन में न्यूनतम 2 वर्षों तक कार्य किया है।

मैं जमाया करता/करती हूँ कि उम्मीदवार सभी प्रविष्टियों में जन और विवरण के अनुसार कार्य है।
यदि मे दस्ता उपलब्ध कराये गये उम्मीदवार तब किसी भी समय एवं स्तर पर अनुसूच/मालत शर्त
जाते हैं तो इन सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मे विवरण की जाने वाली कार्यवाही के लिए
मैं स्पष्ट उत्तरदायी सँभालूँगी।

दिनांक 15-5-26


हस्ताक्षर और मुहर
ग्राम प्रधान/सरपंच का नाम
(ग्राम पंचायत)